CNR No. UPBU040119892026

न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्याय कक्ष संख्या–08 बुलन्दशहर।

वाद संख्या 953 सन् 2025
कम्प्यूटर नं. 8656/2026

राज्य................................. बनाम.......................... परमानन्द।

अपराध संख्या 116A सन् 1991
धारा 147, 148, 149, 307 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

दिनांक–09.04.2026

पत्रावली पेश हुई।

अभियुक्त परमानन्द पुत्र बेदराम अहीर, निवासी बहलोलपुर, थाना सैक्टर नं. 58 नोएड़ा, जिला गौतमबुद्धनगर की मृत्यु आख्या थाना सिकन्द्राबाद से प्राप्त हुई है। जो पत्रावली पर संलग्न है, जिसमें अभियुक्त परमानन्द की मृत्यु करीब 17 वर्ष पहले होना अंकित है। मृत्यु आख्या देने वाले तामील कुनिन्दा उ०नि० कोमल सिंह न्यायालय में उपस्थित आये, उनका साक्ष्य सी०डब्लू० 01 के रूप में अंकित किया गया। सी०डब्लू० 01 उ०नि० कोमल सिंह द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्त परमानन्द की मृत्यु करीब 17 वर्ष पहले हो चुकी है। मृत्यु के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान सतपाल यादव ग्राम बहलोलपुर– चोटपुर, विकास खंड बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर की तहरीर संलग्न है। उक्त मृत्यु आख्या पर रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसको मैं तस्दीक करता हूं।

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त परमानन्द के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

अपराध संख्या 116A सन् 1991, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्त परमानन्द की मृत्यु हो जाने के कारण वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

चूंकि उपरोक्त पत्रावली में अभियुक्त परमानन्द एकमात्र अभियुक्त था। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–09.04.2026

(मोनिका कालरा)
अपर सिविल जज (अवर खण्ड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्याय कक्ष संख्या–08, बुलन्दशहर।
J.O.CODE NO. 4632

Steno:Ankit Kumar

Digitally signed by MONICA KALRA
Date: 2026.04.22 16:35:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court